

**Nehru's Role in Modern World**

833. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether any progress has been made in organizing a round table conference of cultural leaders on Shri Nehru's role in modern world by the UNESCO;

(b) if so, the place where the conference is proposed to be held; and

(c) the nature of India's participation in the conference?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The Round Table will be held in March 1966, as already scheduled. The list of participants has not yet been finalised.

(b) New Delhi.

(c) The Round Table is being organised by UNESCO and invitations to the participants will consequently be issued by that body. The Government of India will provide accommodation and other facilities. It is expected that some eminent personalities from India will be invited to participate in the Round Table.

**केन्द्रीय स्कूल**

834. श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

श्री शिक्षा मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तथा वित्त पोषित केन्द्रीय स्कूलों में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ; और

(ख) कितने कितने विद्यार्थियों ने हिन्दी और अंग्रेजी ली है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) 33,600 (लगभग)

(ख) इन स्कूलों में ये दोनों भाषाएँ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं। हिन्दी माध्यम लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15,000 (लगभग) है। बाकी विद्यार्थियों ने अंग्रेजी माध्यम लिया है।

12:00 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

ALLEGED FIRING BY POLICE ON LABOURERS IN DELHI—Contd.

Mr. Speaker: We will not take up the calling attention notice, which was held over yesterday. The Minister may make the promised statement.

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : 14 नवम्बर, 1965 को रात के 9.30 बजे पंजाब के राय धाने के गांव रथवाना के एक निवासी ने दिल्ली के नरेला धाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब उसी दिन रात के लगभग 8 बजे वह 6 अन्य व्यक्तियों के साथ दिल्ली के गांव वाकनेर के नजदीक स्थित अपने ईंट भट्टे पर मौजूद था तब उनके ऊपर एक पत्थर फेंका गया। इस पर उन्होंने धायाज लगाई कि वह किसने फेंका था किन्तु अचानक ही उन्होंने देखा कि उन पर गोनियां चलने लगीं। उन्होंने अपनी झुग्गी की तरफ जाने की कोशिश की किन्तु इतने में उन में से दो बन्दूक की गोनियों से जखमी हो गए।

पंजाब पुलिस में रिपोर्ट के अनुसार, वे दो घोषित अपराधियों की तलाश में थे क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि वे जिला रोहतक के गांव नागा में आयेगे। एक नाका-बन्दी की गई। एक सहायक निरीक्षक, पुलिस, एक मुख्य प्रारक्षक तथा दो प्रारक्षकों के एक पुलिस दल ने अग्रे में गन्देहास्पदों को देखा। संदिग्ध व्यक्तियों ने गोली चला

[श्री ल० ना० मिश्र]

दी। पुलिस ने घातम रक्षा के लिये जवाब में गोली चलाई। दो घादमी दिल्ली के तरेला थाने के क्षेत्र में स्थित गोगा ग्राम में घुसे। पुलिस ने उनका पीछा किया। वे लोग एक ईट भट्टे पर चले गए थे जहां एक खस्ता-हाल कोठा (झुग्गी) था। संदिग्ध व्यक्तियों ने ईंटों के पीछे से गोली चलाना जारी रखा और पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई। जिन घादमियों की पुलिस को तलाश थी उनके अलावा दो घादमी जखमी हो गए। संदिग्ध व्यक्ति बच कर भाग निकले।

दिल्ली पुलिस ने जांच का काम शुरू किया। पंजाब पुलिस ने भी राय थाने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अधीन एक मामला दर्ज किया है।

दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले की अदालती जांच का आदेश दिया है।

**Shrimati Renu Charkravartty (Barackpore):** May we have it in English? As it is, we do not understand Hindi very well. But Bihari Hindi is very difficult for us to understand.

**अध्यक्ष महोदय :** अंग्रेजी में तर्जुमा होता है।

**श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) :** क्या कोई ऐसा नियम मौजूद है कि यदि किसी दूसरे राज्य की पुलिस किसी अन्य राज्य के अपराधियों को पकड़ने के लिए जाय तो उस को उस राज्य विशेष से अनुमति लेनी पड़ेगी या उसको सूचना देनी पड़ेगी, यदि नहीं है तो क्या जिस तरीके से दिल्ली और गाजियाबाद में इन्ती तरीके का संघर्ष एक बार हो चुका है और यह दूसरा संघर्ष है और ऐसी घटनाएँ बार बार न घटें इस पर विचार करने के लिये क्या मंत्रालय

तैयार है यदि हाँ, तो वह कौन सी कार्यवाही करने जा रहे है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** जैसा कि आप जानते है दफ्ता 58 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की है उसके अनुसार प्रीफेंडस का जब पीछा किया जाता है तो उस दौरान अगर वह प्रीफेंडर दूसरे राज्य के जुरिस्टिक्शन में चला जाता है तो उसकी पहले परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कोई उसमें अधिनियम या कानून भंग नहीं हुआ है।

**श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) :** क्या दिल्ली पुलिस ने अभी तक पंजाब पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्यवाही की है या गिरफ्तारियाँ की हैं ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** गिरफ्तार करने का सवाल कहाँ होता है ? वे तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। वे दो घोषित अपराधियों की तलाश में थे। बाकी उस गोलीकांड की, जिसमें दो मजदूर घायल हुए हैं, उसके बारे में दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले की अदालती जांच का आदेश दिया है। तहकीकात और जांच पड़ताल का काम पूरा होने के बाद कुछ कहा जा सकेगा।

**श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) :** माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बतलाया कि संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस पर गोली चलाई जिसके कि जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह संदिग्ध व्यक्तियों ने जो गोली चलाई तो क्या उसके कुछ कारतूस मिले हैं और क्या यह बात सही है कि यह सब पंजाब पुलिस ने अपने बचाव के लिए जाल रचा है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह तो अदालती जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि दरअसल क्या बात थी।

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा मैंने पहले कहा कि यह दोनों घोषित अपराधी थे और उन्होंने पंजाब राज्य में ही पहले गोली चलाई। दो आदमी दिल्ली के नरेला थाने के क्षेत्र में स्थित गोगा ग्राम में घुसे ...

श्री रामसेवक यादव : जब उन्होंने गोलियां चलाईं तो क्या उन के कोई खाली कारतूस भी मिले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अदालती जांच हो रही है तहकीकात होने पर सारी चीज सामने आ जायगी इस वक्त वह कैसे अंदाजा कर सकते हैं ?

Shri P. E. Chakraverti (Dhanbad): May we know how many persons have been admitted to the hospital and what is their present condition?

श्री रामसेवक यादव : मन्त्री महोदय को क्या यह जानकारी है कि जिन सन्देहास्पद व्यक्तियों ने गोली चलाई उनके खाली कारतूस मिले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि गोली चलाई गई तो क्या उन्हें इस बात का भी कोई इल्म है कि भागने वाले व्यक्तियों द्वारा चलाई हुई गोलियों के कोई खाली कारतूस भी मिले हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम को यह खबर है कि जहां घर में वह छिपे थे उस घर के दरवाजे में 29 कारतूसों के निशान लगे हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई इत्तिला नहीं है।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): May I know whether the report was received by the Government first from the Punjab Police or whether they conducted their own enquiry to have an FIR report for this?

Shri E. N. Mishra: The report is from our own police, the police officer in charge of Narela police station.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : जिन संदिग्ध व्यक्तियों का जिक्र सरकार कर रही है वह सब लोग पकड़ लिये गये हैं या उनमें से कुछ बाहर भी हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : उनमें से कोई नहीं पकड़ा गया है।

श्री श्रीकार लाल बेरवा (कोटा) : मैं यह जानना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या पंजाब सरकार को पूछा था ? वह रिपोर्ट अभी तक भी नहीं आई है। अगर पंजाब सरकार उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देती है तो दिल्ली सरकार क्या करेगी ? उन्होंने उसके ऊपर उलटा मुकद्दमा दर्ज कर दिया है तो सरकार उसके लिए क्या उपाय करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वाक्या दिल्ली में हुआ। चूंकि दिल्ली राज्य के अन्दर यह घटना घटी है इसलिए दिल्ली के मजिस्ट्रेट इस की जांच कर रहे हैं और उनके सामने पंजाब पुलिस के वह अधिकारी जो कि इस घटना से सम्बन्धित हैं उनके और अन्य लोगों के भी इस के बारे में बयान लिये जायेंगे।

श्री श्रीकार लाल बेरवा : दिल्ली पुलिस द्वारा पंजाब पुलिस से इस बारे में रिपोर्ट मांगने के बावजूद उनसे इस मामले की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ऐसा सुनने में आया है तो मन्त्री जी बतलायें कि उन्होंने रिपोर्ट दी है या नहीं दी है ?

श्री हुकम चन्द कच्छवाय : चायस व्यक्तियों को कोई मुद्दाबिजा भी दिया गया है ?